

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्रारम्भिक से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 182] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 20, 1977/भाद्र 29, 1899

No 182] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 20, 1977/BHADRA 29, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह ग्रन्थ संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICES

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 20th September 1977

SUBJECT—*Import of palm oil under free licensing scheme—Import policy for April 1977—March 1978.*

No. 73-ITC(PN)/77—Attention is invited to the policy set down in column 3 against S No 1507 in Section II read with column 3 against S No 19 of Appendix 2 to the Import Trade Control Policy Book (Vol I) for the period April 1977—March 1978 as amended

2 On a review of the position, it has been decided that no licences for the import of palm oil refined for direct human consumption shall be issued under the aforesaid provisions in future

3 In cases where firm commitments have been entered into with foreign suppliers for import of palm oil refined for direct human consumption prior to the date of this Public Notice, import licences will be granted by the licensing authorities concerned to the extent of quantity/value of commitments entered into by the applicants, after satisfying themselves about the nature of such commitments

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचनाएं

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 20 सितम्बर, 1977

विषय .—स्वतन्त्र लाइसेंस योजना के अन्तर्गत ताड़ के तेल का आयात—अप्रैल, 1977—मार्च, 1978 के लिए आयात नीति ।

सं० 73-आई० टी० सी० (पी० एन०)/77—अप्रैल, 1977—मार्च, 1978 अवधि की यथा संशोधित आयात व्यापार नियंत्रण नीति (वा-1) के परिशिष्ट-2 की क्रम संख्या-19 के सामने कालम 3 के साथ पड़े जाने वाले, खण्ड 2 में क्रम संख्या-15.07 के सामने कालम 3 में निर्धारित आयात नीति की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है ।

2. स्थिति की पुनरीक्षा करने पर यह निश्चय किया गया है कि मानव के सीधे उपभोग के लिए ताड़ के शुद्ध तेल के आयात के लिए पूर्वोक्त शर्तों के अधीन भविष्य में कोई भी लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा ।

3. जिन मामलों में इस सार्वजनिक सूचना की तिथि से पहले मानव के सीधे उपभोग के लिए ताड़ के शुद्ध तेल के आयात के लिए विदेशी संभरकों के साथ पक्के सौदे कर लिए गए हों उन में आवेदकों द्वारा किए गए सौदे की मात्रा/मूल्य की सीमा तक सम्बन्ध लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा ऐसे सौदों के स्वरूप के विषय में अपनी संतुष्टि कर लेने के बाद आयात लाइसेंस प्रदान किए जाएंगे ।

SUBJECT.—Import of viscose filament yarn and cuprammonium yarn—Issue of licences to actual users for the licensing period April, 1977—March, 1978.

No. 74-ITC(PN)/77.—Attention is invited to Ministry of Commerce Public Notice, No. 52-ITC(PN)/77, dated the 25th July, 1977, in terms of which import of viscose filament yarn is allowed on free licensing basis to the specified categories of Actual Users as indicated in para 2 of the aforesaid Public Notice.

2. On a review of the position, it has been decided to add the following categories of Actual Users to the said Public Notice:—

- (i) Warp knitting machine and auto shuttle embroidery machine owners;
- (ii) Hosiery and knitwear manufacturers, doublers and twisters;
- (iii) Gas Mantle manufacturers;
- (iv) Zari industry and embroiders; and
- (v) Co-operative societies/registered associations/corporations of handloom weavers.

3. All the above categories of Actual Users will also be allowed to import cuprammonium yarn in the same manner as viscose filament yarn. Import licences issued for viscose filament yarn in terms of Public Notice No 52-ITC(PN)/77, dated the 25th July, 1977, shall also be automatically valid for import of cuprammonium yarn and shall be deemed to have been issued, subject to the condition that the licence holder shall submit returns to the Textile Commissioner, Bombay, as prescribed in this Public Notice. It will not be necessary for the licensees to obtain specific endorsement for import of cuprammonium yarn from the licensing authorities in respect of licences already issued for viscose filament yarn.

4. Eligible Actual Users should submit applications for import licences to the licensing authorities concerned, invariably indicating the source of import, i.e. the country from which imports are desired to be made, along with photostat copies of the industrial licences or registration certificates issued to them under

Item No. 23(5) of the 1st Schedule to the Industries (Development & Regulation) Act, 1951, or the permits issued by the Textile Commissioner, Bombay, under the Artsilk Textile Control Order in view of the fact that applicants mentioned in para 2(u-v) are not required to obtain permits from the Textile Commissioner, Bombay, such an application may be accompanied only by the certificates from the State Director of Industries/Hanaloam or other concerned State Government Authorities, as the case may be, indicating in clear terms that the applicant unit is an Actual User of viscose filament yarn, cuprammonium yarn.

5. Import licences issued will have a validity period of six months from the date of issue, subject to the condition that firm contracts should be entered into with foreign suppliers within a period of three months from the date of issue of the licence.

6. It has also been decided that the import licences to be issued in terms of this Public Notice and to be issued in future under the Public Notice referred to in para 1 above shall be subject to the condition that as soon as contracts are entered into by the licensees, they shall furnish information regarding such contracts, indicating quantity contracted and price and denier of yarn, etc., to the Textile Commissioner, Bombay, in the proforma annexed to this Public Notice.

7. The following amendments shall be made at the appropriate places in the Import Trade Control Policy Book (Volume I) for the period 1977-78:—

- (i) The description of item in Remark (8) against heading No. 51.01/03, 56.01/04 and 56.05/06 at page 42 in Section II of the Policy Book, inserted vide Public Notice No. 52-ITC(PN)/77, dated the 25th July, 1977, may be deemed to have been amended as under:—

“Viscose filament yarn/cuprammonium yarn”.

- (ii) The following additional categories of actual users may be deemed to have been inserted in remark (8) against heading No. 51.01/03, 56.01/04 and 56.05/06 at page 42 in Section II of the policy book, incorporated vide para 5(1) of Public Notice, No 52-ITC(PN)/77, dated the 25th July, 1977.—

“(c) Warp knitting machine and auto shuttle embroidery machine owners;

(d) Hosiery and knitwear manufacturers, doublers and twisters;

(e) Gas Mantle manufacturers;

(f) Zari industry and embroiders, and

(g) Co-operative societies/registered associations/Corporations of handloom weavers.”

- (iii) The description of item No 5A in Appendix 2, page 116 inserted vide para 5(ii) of Public Notice No. 52-ITC(PN)/77, dated the 25th July, 1977, in the import policy book for 1977-78, may be deemed to have been amended as under.—

“Viscose filament yarn/Cuprammonium yarn”.

- (iv) The following additional categories of actual users may be deemed to have been inserted after “(b)” in column 3 in Appendix 2, page 116 against S. No 5A incorporated vide Public Notice No. 52-ITC(PN)/77, dated the 25th July, 1977, of the import policy book for 1977-78:—

“(c) Warp knitting machine and auto shuttle embroidery machine owners;

(d) Hosiery and knitwear manufacturers, doublers and twisters;

(e) Gas Mantle manufacturers;

(f) Zari industry and embroiders; and

(g) Co-operative societies/registered associations/corporations of handloom weavers”

ANNEXURE

PARTICULARS OF CONTRACTS EFFECTED, PRICE ETC. IN RESPECT OF IMPORT LICENCES ISSUED FOR VISCOSE FILAMENT YARN/CUPRAMONIUM YARN

1. Name and address of the licensee
2. Import licence number and date
3. Value of import licence
4. End-product for which import licence was obtained
5. Source of import
6. Particulars of contracts effected against above import licence alongwith date of contract.
7. Quantity contracted and c.i.f. value/Kg.
8. Denier of yarn
9. Country of origin.

I/We hereby certify that the particulars mentioned above are true to the best of my/our knowledge and belief

Date:

Signature of the licensee
with name in block letters

K V SESHADRI,
Chief Controller of Imports and Exports.

विषय—अप्रैल, 1977—मार्च, 1978 की लाइसेंस अवधि के लिए वास्तविक उपयोक्ताओं को विस्कोस तन्तु धागे और कप्रेमोनियम धागे के आयात के लिए लाइसेंस जारी करना।

सं० 74-आई.टी.सी० (पी.एन०)/77.—वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या-52 आई टी सी (पी एन)/77 दिनांक 25 जुलाई, 1977 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसके अनुसार उपर्युक्त सार्वजनिक सूचना की कड़िका 2 में यथा संकेतित वास्तविक उपयोक्ताओं की विशिष्ट श्रेणियों को स्वतन्त्र लाइसेंस आधार पर विस्कोस तन्तु धागे के आयात की अनुमति है।

2. स्थिति की पुनरीक्षा करने पर यह निश्चय किया गया है कि उपर्युक्त सार्वजनिक सूचना में वास्तविक उपयोक्ताओं की निम्नलिखित श्रेणियों को जोड़ा जाए—

- (1) ताना बुनने की मशीन ओटो और शटल कशीदाकारी मशीन के मालिकों को ;
- (2) होजरी एवं निटबीयर विनिर्माताओं डब्लर्स एवं टिक्स्टर्स को ;
- (3) गैस मेन्टल विनिर्माताओं को ;
- (4) जरी उद्योग एवं कशीदाकारों को ; एवं
- (5) सहकारी समितियों/पंजीकृत संस्थाओं/हथकरघा जुलाहों के निगमों को।

3. वास्तविक उपयोक्ताओं की उपर्युक्त सभी श्रेणियों को कप्रेमोनियम धागे को आयात करने के लिए उसी तरह स्वीकृति दी जाएगी जिस तरह विस्कोस तन्तु धागे को दी गई है। सार्वजनिक सूचना संख्या 52-आई टी सी (पी एन)/77 दिनांक 25-7-1977 के अनुसार विस्कोस तन्तु धागे के लिए जारी किए गए आयात लाइसेंस के प्रेमोनियम धागे के आयात के लिए स्वतः वैध होंगे और इस शर्त के अधीन जारी किए गए समझे जाएंगे कि लाइसेंसधारी इस सार्वजनिक सूचना

मे यथा निर्धारित एक रिपोर्ट वस्त्र आयुक्त को प्रस्तुत करेगा। लाइसेंसधारियों के लिए यह आवश्यक नहीं होगा कि वे विस्कोस तन्तु धागे के लिए पहले से ही जारी किए गए लाइसेंसों के सबंध में कप्रेमोनियम धागे के आयात के लिए लाइसेंसों पर लाइसेंस प्राधिकारियों से पृष्ठांकन कराएं।

4. पात्र वास्तविक उपयोक्ताओं को चाहिए कि वे निरपवाद रूप से सबंध लाइसेंस प्राधिकारियों को आयात लाइसेंस के लिए आवेदन पत्र भेजे जिसमें आयात के स्रोत अर्थात् वह देश जिस से आयात किए जाने की मांग की गई है और इसके साथ उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1951 के लिए प्रथम अनुसूची की मद सं० 23(5) के अन्तर्गत उन्हें जारी किए गए औद्योगिक लाइसेंस या पंजीकरण प्रमाण-पत्र या कृत्रिम रेशम वस्त्र नियंत्रण आवेदन के अन्तर्गत वस्त्र आयुक्त, बम्बई द्वारा जारी किए गए परमिट की फोटो-स्टेट प्रतियों को भी भेजे। उपर्युक्त कड़िका 2 (2-5) में उल्लिखित आवेदकों के लिए वस्त्र आयुक्त, बम्बई से परमिट प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए ऐसे आवेदनपत्रों के साथ केवल राज्य उद्योग हथकरघा निदेशक या अन्य सबद्ध राज्य सरकार प्राधिकारियों, जो भी हों, उससे प्राप्त प्रमाणपत्र भेजे जाने चाहिए जिनमें यह साफ-साफ दर्शाया जाए कि आवेदक एकक विस्कोस तन्तु धागे/कप्रेमोनियम धागे का वास्तविक उपयोक्ता है।

5. जारी किए गए आयात लाइसेंसों की वैधता अवधि लाइसेंस जारी होने की तारीख से 6 मास के लिए होगी परन्तु शर्त यह है कि विदेशी सभरकों के साथ लाइसेंस जारी होने की तारीख से 3 मास की अवधि के भीतर ही पक्की सविदाएं कर ली जानी चाहिए।

6. यह भी निश्चय किया गया है कि इस सार्वजनिक सूचना के अनुसार जारी किए जाने वाले आयात लाइसेंस और उपर्युक्त कड़िका 1 में उल्लिखित सार्वजनिक सूचना के अधीन भविष्य में जारी किए जाने वाले आयात लाइसेंस इस शर्त के अधीन होंगे कि जैसे ही लाइसेंसधारी द्वारा सविदा कर दी जाएगी वे ऐसे सविदाओं के बारे में सविदा की मात्रा और कोमत और धागे के डिनीयर आदि को दर्शाते हुए इस सार्वजनिक सूचना से संलग्न प्रपत्र में जानकारी वस्त्र आयुक्त, बम्बई को भेजेंगे।

7. 1977-78 अवधि के लिए आयात व्यापार नियंत्रण नीति (बा०-1) में निम्न-लिखित संशोधन उपयुक्त स्थानों पर किए जाएं :—

- (1) नीति पुस्तक के खंड-2 में पृष्ठ 42 पर शीर्षक सं० 51.01/03, 56.01/04 और 56.05/06 के सामने टिप्पणी (8) में जोड़ी गई मद के विवरण देखें सार्वजनिक सूचना सं० 52—आई टी सी (पी एन)/77 दिनांक 25-7-77 को इस प्रकार संशोधित किया गया समझा जाए :—

“विस्कोस तन्तु धागे/कप्रेमोनियम धागे”

- (2) वास्तविक उपयोक्ताओं की निम्नलिखित अतिरिक्त श्रेणियां नीति पुस्तक के खंड-2 में पृष्ठ 42 पर शीर्षक सं० 51.01/03, 56.01/04 और 56.05/06 के सामने टिप्पणी (8) में जोड़ी गई समझी जाए। देखें सार्वजनिक सूचना संख्या 52 आई टी सी (पी एन)/77 दिनांक 25-7-77 :—

- “(सी) ताना बुनने की मशीन और आटो शटल कशीदाकारी मशीन के मालिकों को;
- (डी) होजरी एवं निटवीयर विनिर्माताओं, डब्लस एंव टिबस्टर्स को;
- (ई) गेस मेन्टल विनिर्माताओं को;

(एफ) जरी उद्योग एवं कशीदाकारों को ; एवं

(जो) सहकारी समितियों/पजीकृत संस्थाओं/हथकरघा जुलाहों के निगमों को ।”

- (3) 1977-78 के लिए आयात नीति के पृष्ठ 116 के परिशिष्ट 2 में जोड़ी गई मद स० 5 ए के विवरण को देखे सार्वजनिक सूचना स० 52-आई टी सी (पी एन)/77 दिनांक 25-7-77 का पैरा 5(2) निम्नलिखित अनुसार संशोधित किया गया समझा जाए .

“विस्कोस तन्तु घागे/कप्रेमोनियम घागे”

- (4) वास्तविक उपयोक्ताओं की निम्नलिखित अतिरिक्त श्रेणियों 1977-78 के लिए आयात नीति के “पृष्ठ संख्या 116, क्रम संख्या 5 ए परिशिष्ट 2 के कालम 3 में (ख)” के बाद जोड़ी गई समझी जाए, देखें सार्वजनिक सूचना संख्या 52-आई टी सी (पी एन)/77 दिनांक 25-7-77 :—

“(सी) ताना बुनने की मशीन और आटो शटल कशीदाकारी मशीन के मालिकों को ;

(डी) होजरी एवं निटबीयर विनिर्माताओं, डबलस एवं टिक्स्टर्स को ;

(ई) गेस मेटल विनिर्माताओं को ;

(एफ) जरी उद्योग एवं कशीदाकारों को ; एवं

(जी) सहकारी समितियों/पजीकृत संस्थाओं/हथकरघा जुलाहों के निगमों को ।”

अनुबन्ध

विस्कोस तन्तु घागे कप्रेमोनियम घागे के लिए जारी किए गए आयात लाइसेंसों के सम्बन्ध में की गई संविदाओं, कीमतों आदि के ब्यौरे

1. लाइसेंसधारी का नाम और पता []
2. आयात लाइसेंस की संख्या और दिनांक]
3. आयात लाइसेंस का मूल्य
4. उस अंतिम उत्पाद का नाम जिस के लिए आयात लाइसेंस प्राप्त किया गया था
5. आयात का स्रोत
6. उपर्युक्त आयात लाइसेंस के आधार पर की गई संविदाओं के ब्यौरे संविदा के दिनांक के साथ

*

7. संविदा की गई मात्रा और मात्रा का लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य/कि० घा०
8. घागे का डिनीयर
9. उद्गम देश का नाम

मैं/हम एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूँ/करते हैं कि उपर्युक्त व्योरे मेरे/हमारे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य हैं ।

दिनांक _____

साक्षर/संघारी के हस्ताक्षर
स्पष्ट अक्षरों में नाम

का० बे० खेबाहि,
मजद-नियंत्रक, आवाज-निर्वाह ।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा
मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD,
NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1977

